

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशारान गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर0ए0एस0

भगवान सिंह पुत्र धर्मसिंह  
जाति जाट निवासी जनाणा  
दावा बाबत :- 88 RT Act  
मुकदमा नम्बर :- 216/2021  
निर्णय दिनांक :- 08/12/2021

उनवान  
बनाम 1. धर्मसिंह पुत्र सुखराम  
2 रामसिंह  
3 सुरेन्द्र कुमार  
4 गीता  
5 राज० सरकार जरी तहसीलदार भादरा

पि० धर्मसिंह  
जाति जाट  
निवासी जनाणा

वादी की ओर से वकील सतवीर बेंनीवाल की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील राजेश बेंनीवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 08/12/21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा को समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रौही मौजा चक 2 MARN के खाता संख्या 24/19 के सु. न. 34 के किला न. 8 ता 13, 18, 19, 22, 23 सु. न. 35 किला न. 6 ता 8, 13 ता 15, सु. न. 48 कि. न. 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8, 9 की कुल 5.060 हे० में प्रतिवादी धर्मसिंह के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 MARN के खाता संख्या 25/52 के सु. न. 48 के किला न. 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/7, 12/2, 13/1 की कुल 1.137 हे० में प्रतिवादी धर्मसिंह के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि में वादी भगवान सिंह व प्रतिवादी स. 1 धर्मसिंह, संख्या 2 रामसिंह, संख्या 3 सुरेन्द्र कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार व साक्षर कार घोषित किये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 4 ने वादी एवं प्रतिवादी स. 1 ता 3 के पक्ष में अपना सम्पूर्ण हिस्सा याग कर शून्य कर लिया है, इसलिए नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा हो। यदि भूमि बैंक के रहन दर्ज हो तो रहन मुक्त उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड डुरुस्त किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(शकुंतला चौधरी)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़